न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 61/2019 GCMS NO.2019/00171

1. गंगाविशन उर्फ लटूर पत्रु गिर्राज (मृतक)
   1/1. रामावतार पुत्र गंगाविशन
   1/2. रामप्यारी पुत्री गंगाविशन
   1/3. किसकिन्धा पुत्री गंगाविशन
   1/4. सीमाबाई पुत्री गंगाविशन
   1/5. किशनीदेवी पत्नि गंगाविशन
2. हनुमान प्रसाद पुत्र गंगाविशन दत्तक पुत्र रामकुवार
3. पून्या पुत्र अर्जुन सभी जातियान मीना निवासीयान सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामप्रकाश पुत्र मोतीलाल
2. अशोक कुमार पुत्र मोतीलाल
3. कॅवरपाली पत्नि मोतीलाल
4. हीरालाल पुत्र सोन्या
5. हंसराज पुत्र सोन्या
6. केदार पुत्र मनसुखलाल
7. मु0फूली बेवा मनसुखलाल
8. जितेन्द्र पुत्र मनसुखलाल समस्त जातियान मीना निवासीयान सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर(मृतक)
   8/1. लवेश पुत्र जितेन्द्र उम्र 15 वर्ष जरिये संरक्षक माता बबीता पत्नि जितेन्द्र
   8/2. बबीता पत्नि जितेन्द्र उम्र 40 वर्ष जातियान मीना निवासीयान सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
9. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

.... रैस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 9.12.19
मु0नं0 56/19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अंभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री रामस्वरूप साहू

दिनांक 30.09.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 9.12.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:47 IST
Reason: SelfAttested

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि [illegible] न्यायालय में अपीलांट/ प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 [illegible] इस आशय का पेश कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही सजरा परिवार के सदस्य है [illegible] एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त रूप से पैतृक कृषि भूमि साबिक ख.न. 2978 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सूरवाल [illegible] है। जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से भौतिक कब्जा काश्त करते चले [illegible] है। विवादित भूमि बाल्या के नाम दर्ज होते हुए मृतक सोन्या द्वारा राजस्व कर्मचारियो से साठगाठ

Scanned with CamScanner

कर अकेले सोन्या के नाम से राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करवा लिया। मौके पर भौतिक कब्जा मृतक बाल्या के जीवनकाल से ही प्रार्थी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्से पर एवं 1/3 हिस्से पर प्रार्थी संख्या 3 का भौतिक कब्जा चला आ रहा है तथा 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के पूर्वज सोन्या व मृतक मोतीलाल द्वारा की गई फर्जकारी एवं राजस्व रिकार्ड मे हो रही गलतियो की जानकारी समय पर नही सकी। भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक ख0न0 2978 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा के हाल नवीन न0 3520 रकबा 0.39 है0, 3521 रकबा 0.19 है0, 3522 रकबा 0.06 है0, 3525 रकबा 0.02 है0, 3526 रकबा 0.02 है0 कुल किता 5 रकबा 0.68 है0 बनाये गये है। विवादित भूमि ख.न. 3520 रकबा 0.39 है0 मे से रकबा 0.29 है0, 3521 रकबा 0.41 है0 मे से रकबा 0.01 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 है0 मेगा हाईवे मे आवाप्त की गइ थी। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे की भूमि ख0न0 3522 रकबा 0.01 है0भूमि अवाप्त होने के कारण प्रार्थी संख्या 1 व 2 मे विवाद करना उचित नही समझा। प्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि मेगा हाईवे पर भौतिक कब्जे की भूमि हाल ख0न0 3521 रकबा 0.14 है0 , 3533 रकबा 0.05 है0, 3525 रकबा 0.02 है0 , 3526 रकबा 0.02 है0 कुल किता चार कुल रकबा 0.23 है0 के चारो और गडडू गाढकर तारो से फेंसिग कर रखी है। प्रार्थी संख्या 3 का मौके पर ख0न0 3520 रकबा 0.39 है0 मे 1/2 हिस्से पर भौतिक कब्जा था वर्तमान मे अलग मेडबंदी कर काश्त कर रखी है। अप्रार्थीगण लठठ के जोर पर प्रार्थीगण की पैतृक भूमि के हक व अधिकार से वंचित करने पर आमादा होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण/अपीलांटान को दावे के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 3520,3521,3522,3525,3526 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करने तथा अन्य किसी से नही कराने हेतु पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया रैस्पो0 को नोटिस जारी किये, तहत रेकार्ड तलब किया, बहस उभय अभिभाषक की सुनी गई ।

अपीलाट के योग्य अभिभाषक ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस अपील में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जबकि विवादित आराजीयात साबिक ख0न0 2978 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा पर अपीलांटगणो का पूर्वजो के समय से 1/3, 1/3 हिस्से पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है मौके पर 1/3 हिस्से पर रेस्पो0 का ही भौतिक कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि सम्मत 1991 से 2001 की पर्चा चकबंदी दस साला मे अपीलाटगणो के बाबा बाल्या के नाम दर्ज थी। मिलान ख0न0 के अनुसार साबिक ख0न0 2903 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा दर्ज थी। बीस साला खतौनी के अनुसार नवीन ख0न0 2978 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा दर्ज किया था। साबिक ख0न0 2903 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा बाल्या के नाम दर्ज थी एवं राहिन का इन्द्राज रामूली बेवा भोरीलाल कोम महाजन के नाम दर्ज थी। विवादित भूमि को मृतक सोन्या ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर सोन्या के नाम दर्ज थी, को मृतक [illegible] रिकार्ड मे दर्ज करवाली लेकिन भौतिक कब्जा अपीलाटान एवं रेस्पो0 का 1 [illegible] हिस्से पर चला आ रहा है। विवादित आराजीयात पैतृक होने [illegible] साबित होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र [illegible] न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु अपीलाट[illegible]र्थना पत्र खारिज कर अहम भूल की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि [illegible]द्ध होने से अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आ[illegible]यात मे अपीलाटागणो के पूर्वजो के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

समय से 1/3, 1/3 हिस्से के भौतिक कब्जे काश्त मे किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करने हेतु रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

रेस्पोडटान के अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि विवादित आराजी पर खुद बाल्या का कब्जा ही नही था जब बाल्या का कब्जा नही था तो प्रार्थीगण/अपीलांटगण का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांटन के परिवार के ज्यादातर सदस्य उच्च शिक्षित सदस्य है। विवादित आराजीयात अपीलांटान के जन्म से पूर्व से ही रेस्पो0 के पिता व दादा सोन्या की खातेदारी मे लगी हुई थी। इसकी जानकारी अपीलाटगणो को 18-20 वर्ष पूर्व मेगा हाईवे हेतु अवाप्त होने पर ही हो गई थी। विवादित आराजीयात पूर्व मे रामूली वेवा भौरीलाल महाजन के यहॉ रहन थी जिसे रेस्पो0 के बुर्जग सोन्या पुत्र काना द्वारा रहन की अदा कर छुडा ली थी तथा कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस बात को अपीलांटगण स्वयं स्वीकार करते है। सम्वत 2004 से काफी समय पूर्व से सोन्या काबिज था इसलिए सम्वत 2004 लगायत 2023 मे सोन्या पुत्र काना की खातेदारी मे लगी थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से सोन्या काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ की रोशनी मे ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष बहस पर तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित भूमि काना की खातेदारी की भूमि थी। काना की मृत्यु के पश्चात काना के वारिसान बाल्या, सुखदेवा व सोन्या की खातेदारी मे दर्ज हुई। जिसका इन्द्राज खतौनी बन्दोवस्त 2004 लगायत 2023 मे हुआ है। खसरा न0 2903 रामूली के रहन होना स्वयं अपीलाट ने स्वीकार किया है तथा रामूली को रकम अदाकर रहन से मुक्त कराई जाना अपीलांट ने स्वीकार किया है। विवादित आराजीयात मे से कुछ भूमि मेगा हाईवे मे अवाप्त होना यह जाहिर करता है कि खातेदारी किसके नाम है यह अपीलाटगणो की जानकारी मे था। यदि अवाप्त की गई भूमि मे अपीलांटगण का कोई हित होता तो उनके द्वारा ऐतराज प्रस्तुत किया जाता। इस संबंध मे अपीलांट द्वारा दौराने बहस कोई कथन नही किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 56/19 निर्णय दिनांक 9.12.19 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/9/2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner